ए.

डॉ. वाई. इबेहैबी देवी (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. और ओ. आर. एस. बनाम।

द्वारा प्रस्तुत मणिपुर राज्य

आयुक्त (उच्च और तकनीकी शिक्षा) मणिपुर और ए. एन. आर. सरकार।

(सिविल अपील सं. 2022 की 2681) 31 मार्च, 2022

[वाइन सरन और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-पेंशन-मणिपुर सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2010-संशोधित पेंशन योजना का लाभ-कार्यालय ज्ञापन का बाध्यकारी बल-सांविधिक आदेश पर-अपीलकर्ता सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर हैं और एक कॉलेज लाइब्रेरियन-मणिपुर सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2010 राज्यपाल द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05.05.2010 पर बनाए गए थे, जिसमें प्रावधान है कि पेंशन लाभ 01.04.2010 से दिए जाएंगे-24.12.2011 पर राज्य सरकार ने एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें यह प्रावधान है कि संशोधन के कारण बढ़ी हुई पेंशन/परिवार पेंशन का लाभ 01.11.2010 से दिया जाएगा-अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, जिसमें संशोधित पेंशन के लिए अपना दावा किया गया।आई. डी. 3 का ओ. एम. एक प्रशासनिक आदेश की प्रकृति का है और इसे राज्यपाल के नाम से नहीं बनाया और निष्पादित किया गया है-आई. डी. 1 के ओ. एम. के खंड 3 के संदर्भ में, अपीलार्थीगण ने उस तारीख से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का एक निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होता है-आई. डी. 3 का ओ. एम. हालांकि वैधानिक शक्ति वाले ओ. एम. के लिए एक स्थायी विसंगति को स्पष्ट करने के लिए एक साधन के रूप में पेश किया गया है, वास्तव में आई. डी. 2 से ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त लोगों के अधिग्रहित या निहित अधिकार का अतिक्रमण करता है-इस तरह के "स्पष्टीकरणात्मक आदेश" को वैधानिक शक्ति वाले आदेश को ओवरराइड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-ओ. एम. ए.

जी.

जहाँ तक अपीलार्थीगण को 01.04.2010 से संशोधित पेंशन प्राप्त करने की पात्रता का संबंध है, 24.12.2011 का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1. 24** दिसंबर **2011** का कार्यालय ज्ञापन एक प्रशासनिक आदेश की प्रकृति का है।यह कार्यालय ज्ञापन राज्यपाल के नाम पर नहीं बनाया और निष्पादित नहीं किया गया है।लेकिन यह कार्यालय ज्ञापन **12** अगस्त **2011** को बनाए गए सरकारी आदेश के तहत अपीलार्थीगण के ठोस अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, जिसे **5** मई **2010** और **3** जून **2011** के आदेशों की निरंतरता में पढ़ा जाता है।हमारी राय में, राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है।**5** मई **2010** के ओ. एम. के खंड **3.1** के संदर्भ में, अपीलार्थीगण ने उस तारीख से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होती है।अपीलार्थीगण को उक्त पेंशन व्यवस्था में रखा गया है और इसे **12** अगस्त **2011** के आदेश के खंड **7** द्वारा मान्यता दी गई है।**[**पैरा **15] [788-**सी-डी**]**

2. न्यायालय खंड पीठ के इस मुख्य तर्क से सहमत नहीं है कि **1** अप्रैल **2010** से अपीलार्थीगण को संशोधित पेंशन का लाभ देने से एक विसंगत स्थिति पैदा होगी क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों के सेवारत कर्मचारियों **(**कर्मचारियों**)** को **1** नवंबर **2010** से इस तरह के संशोधन का लाभ मिल सकता है।राज्य ने संबंधित संस्थानों के सेवारत कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने वाली सेवा शर्तों से सेवानिवृत्त लोगों को अलग करने का सचेत निर्णय लिया है और उन्हें मणिपुर राज्य सेवा में उन लोगों के लिए सेवानिवृत्ति नियमों में रखा है। ऐसी स्थिति में, अपील के तहत निर्णय में बताई गई विसंगति सेवा नियमों द्वारा निर्दिष्ट संशोधित पेंशन लाभों की पात्रता की तारीख तय करने के लिए मार्गदर्शक कारक हो सकती है।**24** दिसंबर **2011** के कार्यालय ज्ञापन को भले ही वैधानिक शक्ति वाले कार्यालय ज्ञापन में मौजूद विसंगति को स्पष्ट करने के लिए एक साधन के रूप में पेश किया गया हो, लेकिन वास्तव में यह **1** अप्रैल **2010** से इस तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त लोगों के अर्जित या निहित अधिकार का अतिक्रमण करता है।इस तरह के "स्पष्टीकरण आदेश" को

वैधानिक शक्ति वाले आदेश को ओवरराइड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अदालत ए

जी.

एच.

779

डॉ. वाई. इबेहैबी देवी (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व आम सरकार द्वारा किया गया। मणिपुर ए

तदनुसार अभिनिर्धारित करें कि अपीलार्थीगण **12** अगस्त**, 2011** के आदेश के खंड **7** के प्रावधानों पर विचार करते हुए **1** अप्रैल**, 2010** से संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।जहां तक **1** अप्रैल**, 2010** से संशोधित पेंशन प्राप्त करने के लिए अपीलार्थीगण की पात्रता का संबंध है**, 24** दिसंबर**, 2011** के कार्यालय ज्ञापन का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।**[**पैरा **16] [788-**ई**-**एच**; 789-**ए**]**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.2681।

2016 के रिट अपील (सी) No.55 में इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.01.2017 के निर्णय और आदेश से।

नगंगोम जूनियर, अतुल कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुखरंबम रमेश कुमार, तनय हेगड़े, करुण शर्मा, आशुतोष दुबे, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

न्याय

अनुमति दी गई

2. हमारे सामने अपीलार्थीगण मणिपुर राज्य के आठ सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर और एक कॉलेज लाइब्रेरियन हैं, जो सेवानिवृत्त भी हुए हैं।ये सभी 28 फरवरी 2006 और 31 जुलाई

2008 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे।अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद, एक ही राज्य के विभिन्न कॉलेजों के ग्यारह शिक्षण कर्मचारियों ने याचिकाकर्ताओं के रूप में अभियोग दायर करने के लिए एक आवेदन लिया है।उन्हें इस अपील में हस्तक्षेप करने की अनुमति है।

3. भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था और भारत सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2008 के एक पत्र द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित किया गया था।छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मानकों को राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जाना था। मणिपुर राज्य में, मणिपुर सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2010 को 5 मई 2010 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया था।ऐसे नियम उन लोगों को शामिल करने के लिए थे जिन्हें नियुक्त किया गया था

उस राज्य के मामलों के संबंध में सिविल सेवाएँ और पद और जो मणिपुर सरकार के नियंत्रण वाले नियम के अधीन थे।संशोधित वेतन नियमों की शुरुआत के बाद, उस राज्य में सिविल सेवा नियमों द्वारा कवर किए गए लोगों की पेंशन और संबद्ध लाभों का मार्गदर्शन करने वाले नियमों में कुछ संशोधन किए गए थे।ये संशोधन 5 मई 2010 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा किए गए थे, जिसमें सं.9/3/2010-एफ. डी. (पी. आई. सी.) (संक्षेप में 5 मई 2010 का ओ. एम.) मणिपुर के राज्यपाल द्वारा पेश किया गया।यद्यपि उक्त ज्ञापन में इस तरह के संशोधन करने के लिए शक्ति के स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन यह सरकार के निर्णय के अनुसरण में किया गया था और अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम या भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के संदर्भ में बनाए गए कार्यकारी आदेश की विशेषता के अनुरूप है।

4. 5 मई 2010 के ओ. एम. के खंड 3.1 में निर्धारित किया गया हैः-

" 3.1.इन आदेशों में अन्यथा उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर, इन आदेशों के अनुसार संशोधित प्रावधान इन पर लागू होंगे -

सरकारी कर्मचारी जो 2006 को या उसके बाद कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त/मर जाते हैं, धारणा के अनुसार 2006 से या सेवानिवृत्ति के आंकड़ों से, जो भी बाद में हो, नकद भुगतान/आईडी 3 से वास्तविक लाभ के साथ।उन कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं जो 1/01/2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हो गई।"

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत**)**

5. 3 जून 2011 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के संदर्भ में जारी एक आदेश के माध्यम से, मणिपुर राज्य में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सरकारी कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के पदों के वेतनमान में कुछ संशोधन अनिवार्य किए गए थे।यह आदेश 1 जून 2006 से लागू होना था और 1 नवंबर 2010 से 30 जून 2011 तक की अवधि के लिए बकाया कर्मचारियों के संबंधित जी. पी. एफ. खातों में जमा किया जाना था। इस आदेश के खंड 6 में कहा गया हैः- "6. पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी को भुनाने, अनुग्रह क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि आदि से संबंधित नियम। यह वैसा ही होगा जैसा राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होगा।"

जी.

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत**)**

एच.

781

डॉ. वाई. इबेहैबी देवी (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व आम सरकार द्वारा किया गया। मणिपुर ए

ए.

6. 12 अगस्त, 2011 को एक और आदेश जारी किया गया।7(7)/32009- एच. ई. (विविध) पं. (1)] को वेतन के संशोधित पैमाने को निर्दिष्ट करते हुए कॉलेज शिक्षकों (और समकक्ष ग्रेड) की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में 3 जून 2011 के आदेश को निरस्त करते हुए जारी किया गया था।12 अगस्त 2011 के इस आदेश के खंड 3,7 और 8 में कहा गया हैः-

"3. ये आदेश राष्ट्रीय स्तर पर 01/11/2010 से मौद्रिक लाभ और 01/07/2011 से वास्तविक मामले के भुगतान के साथ 01/01/2006 से लागू होंगे।01/11 2010 से 30/06/2011 तक की अवधि के लिए बकाया राशि कर्मचारियों के उनके संबंधित जी. पी. एफ. खातों में जमा की जाएगी।

हालांकि, उन कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन योजना के तहत योगदान देते हैं और सेवानिवृत्त/समाप्त हो चुके हैं।01/11/2010 से अवधि के लिए बकाया।30/06/2011 को 2 (दो) समान किश्तों में जारी किया जाएगा, पहला 01/01/2012 पर और दूसरा 01/07/2012 पर।

.....

7. पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी वेतन/किसी भी प्रकार की छुट्टी, अनुग्रह राशि मुआवजा, भविष्य निधि और नई पेंशन योजना नो-विन फोर्स आदि से संबंधित नियम राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होंगे।

8. उन कॉलेज शिक्षकों/समकक्ष स्नातकों के लिए जो 01-01-2006 और 31-10-2010 के बीच सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन की गणना संशोधित वेतन में काल्पनिक वेतन और एजीपी के आधार पर की जाएगी।"

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत**)**

7. 24 दिसंबर 2011 को राज्य सरकार ने 12 अगस्त 2011 के विभाग के आदेश के कुछ स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया।सन्देह के क्षेत्र और उस पर दिए गए स्पष्टीकरण, इस अपील के निर्णय के लिए इस हद तक प्रासंगिक हैं, जैसा कि 24 दिसंबर 2011 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया थाः-

जी.

एच.

"एस. एल. नहीं।	संदेह के बिंदु	स्पष्टीकरण

(1)	(2)	(3)
	संदर्भ के तहत आदेश का पैरा 3, जी. पी. एफ. खाते में 01.11.2010 से 30.06.2011 तक की अवधि के लिए बकाया वेतन और भत्तों को जमा करने से संबंधित है, 01.07.2011 से वास्तविक नकद भुगतान और 2 (दो) समान जमाओं में 01.11.2010 से 30.06.2011 तक की अवधि के लिए कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के बकाया वेतन और भत्ते को जारी करने से संबंधित है। हालांकि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ डब्ल्यू. ई. एफ. 01.11.2010 या 01.07.2011 जारी करने के प्रावधान। उन कॉलेज शिक्षकों के संबंध में जो 01.01.2006 से 31.10.2010 और 01.11.2010 से 30.06.2011 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, उनका उल्लेख संदर्भ के तहत आदेश में नहीं किया गया था। संदर्भ के तहत मुद्दे पर सरकार का निर्णय आवश्यक है। आगे	यह स्पष्ट किया जाता है कि उन कॉलेज शिक्षकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी/पेंशन का कम्यूटेशन/छुट्टी नकदीकरण जो 01.01.2006 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए/काम पर रहे हैं। <आई. डी. 2 की गणना अनुमानित वेतन डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2006 के आधार पर या सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख, जो भी बाद में हो, के आधार पर या पूर्व-संशोधित वेतनमान में प्राप्त वास्तविक परिलब्धि के आधार पर की जाएगी, जो भी पदधारी के लिए अधिक फायदेमंद हो। पूर्व संशोधित दर और संशोधित रेटीन समय भुगतान के बीच राशि का अंतर, जैसे कि सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी/डेथ ग्रेच्युटी/लीव एनकैशमेंट, यदि अधिक फायदेमंद पाया जाता है, तो भी भुगतान किया जाएगा। संशोधन के कारण बढ़ी हुई पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वास्तविक लाभ 01.11.2010 से दिया जाएगा। पेंशन के परिवर्तन के मामले में,

	संदर्भ के तहत आदेश के पैरा 8 का उल्लेख करते हुए, उन कॉलेज शिक्षकों/समकक्ष ग्रेडों के लिए जो 01.01.12006 से 31.10.2010 के बीच सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हुए हैं, यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि उनकी सेवानिवृत्ति उपदान को संशोधित किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा, उन कॉलेज शिक्षकों/समकक्ष ग्रेडों के संबंध में जो इस अवधि के दौरान समाप्त हो गए। इस संदर्भ में भी स्पष्ट किया जा सकता है कि उनकी पारिवारिक पेंशन/डी. जी. में संशोधन किया जाएगा या नहीं।	पेंशन की अतिरिक्त राशि के आधार पर लाभ दिया जाएगा। ”

जी.

(जोर दिया गया**)**

8. इस अपील में विवाद यह है कि क्या अपीलार्थीगण को विभिन्न कॉलेजों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रूप में संशोधित ए का लाभ मिलना है।

एच.

783

डॉ. वाई. इबेहैबी देवी (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व आम सरकार द्वारा किया गया। मणिपुर ए

24 दिसंबर 2011 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई तारीख से या 1 अप्रैल 2010 से पेंशन, बाद की तारीख विभिन्न राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त लोगों के लिए लागू की जा रही है।राज्य सरकार 1 नवंबर 2010 से संशोधित पेंशन लागू करना चाहती थी।अपीलार्थीगण ने 1 अप्रैल 2010 से संशोधित पेंशन के लिए अपना दावा करते हुए मणिपुर उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।एकल न्यायाधीश ने 30 अक्टूबर 2015 को दिए गए एक फैसले द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।अन्य बातों के साथ-साथ, उस फैसले में यह राय दी गई थीः- "12. तदनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 2 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा, जहां तक दिनांक 3 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रदान किए गए नकद भुगतान/वास्तविक लाभ डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1 के अनुदान के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को हटाया नहीं जा सकता है और उस हद तक उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।इस न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.12.2011 केवल दिनांकित 3.6.2011 और 12.8.2011 आदेशों को संशोधित किए बिना स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और एक कार्यकारी आदेश भी है जो दिनांकित 5.5.2010 कार्यालय ज्ञापन पर प्रबल नहीं हो सकता है, जिसमें वैधानिक बल है जो सेवानिवृत्ति लाभों को नियंत्रित करता है और वे मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1977, मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन का परिवर्धन) नियम, 2010 और मणिपुर सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1995 के तहत पेंशन का परिवर्धन का एक हिस्सा हैं।

13. तदनुसार, ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है। याचिकाकर्ता डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2010 और दिनांकित 5.5.2010 कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य लाभों के संबंध में नकद भुगतान/वास्तविक भुगतान के वास्तविक लाभ का आनंद लेने के हकदार होंगे और वे दिनांकित 20.9.2011 आदेश या किसी भी बाद के आदेश के संदर्भ में बकाया सहित लाभों के किसी भी अन्य विस्तार के भी हकदार होंगे जो पारित किए गए हों।

जी.

जिन याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबी मूल्यवान सेवा प्रदान की है, उन्होंने स्वेच्छा से राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित बाल गृह के बच्चों के लाभ के लिए अपने अधिकारों से Rs.1000 की राशि दान की है, जिसके लिए यह न्यायालय अपनी सराहना दर्ज करता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दान की गई राशि बच्चों के खाते में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित गृह, ताक्यालपत का उपयोग गृह के निवासी बच्चों की तत्काल और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किया जाएगा।"

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत**)**

9. राज्य सरकार उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपनी अपील में सफल रही। डिवीजन बेंच ने 27 जनवरी 2017 को अपील के तहत दिए गए फैसले में कहाः-

"[11] यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार और मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वेतन में संशोधन के संबंध में लिए गए प्रस्ताव पर, मणिपुर सरकार ने दिनांक 12.8.2011 की अधिसूचना के माध्यम से कॉलेज के शिक्षकों के वेतन में संशोधन किया।उक्त अधिसूचना के खंड 3 के अनुसार वेतनमान के संशोधन से संबंधित उक्त आदेश काल्पनिक रूप से 1.1.2006 से 1.11.2010 से मौद्रिक लाभ और 1.7.2011 से वास्तविक नकद भुगतान के साथ लागू हुआ।1.11.2010 से 30.6.2011 तक की अवधि के लिए बकाया राशि जी. पी. एफ. खातों में जमा करने के लिए निर्धारित की गई थी, जबकि 5.5.10 दिनांकित ओ. एम. मणिपुर सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2010 की शुरुआत के कारण पेंशन आदि के विनियमन से संबंधित प्रावधानों के संशोधन के मद्देनजर जारी किया गया था।खंड 3.1 में यह निर्धारित किया गया है कि इसका प्रावधान 1.1.2006 से लागू होगा और मौद्रिक लाभ 1.4.2010 से दिया जाना था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मणिपुर सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2010 के आधार पर वेतन में संशोधन के परिणामस्वरूप केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में लागू होता है, संशोधित पेंशन को विनियमित करने वाले प्रावधान से संबंधित उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5.5.10 को अनिवार्य रूप से जारी किया जाना आवश्यक था जिसमें 1.4.2010 से भुगतान किए जा रहे मौद्रिक लाभ के बारे में निर्धारित किया गया था।कार्यालय ज्ञापन की प्रवर्तनीयता और वेतन संशोधन के कारण मौद्रिक लाभ के भुगतान से संबंधित प्रावधान सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित था जो मणिपुर सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2010

द्वारा शासित थे, जबकि कॉलेज शिक्षकों के वेतन के संशोधित पैमाने से संबंधित अधिसूचना यू. जी. सी. और भारत सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करने पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी और इसलिए विश्वविद्यालय के शिक्षक उस अधिसूचना में की गई शर्त से शासित होंगे जो उन्हें डब्ल्यू. ई. एफ. 1.11.2010 से दिए जा रहे मौद्रिक लाभों के बारे में बताती है।उक्त ए

जी.

एच.

785

डॉ. वाई. इबेहैबी देवी (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व आम सरकार द्वारा किया गया। मणिपुर ए

शर्त का पेंशन से संबंधित मामले से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि 1.11.2010 से दिया जाने वाला मौद्रिक लाभ सेवा में कार्यरत व्यक्तियों और यहां तक कि सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों से भी संबंधित हो सकता है।हालाँकि, यदि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक ऐसी स्थिति सामने आएगी जो काफी विसंगत होगी जिसमें सेवा में रहने वाले शिक्षक केवल डब्ल्यू. ई. एफ. 1.11.2010 वित्तीय लाभ के हकदार होंगे, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1.4.2010 से मौद्रिक लाभ मिलेगा।यह दोहराया जाता है कि विवाद उस तारीख के संबंध में है जिस तारीख से विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के शिक्षक मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विवाद कभी भी पेंशन से संबंधित किसी भी नियम से संबंधित नहीं है और इस प्रकार दिनांक 5.5.2010 के OM के किसी भी प्रावधान की कोई प्रयोज्यता नहीं होती है, जिसके तहत पेंशन से संबंधित प्रावधान को संशोधित किया गया था।[12] इन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रावधानों का सहारा लिया।5.5.2010 गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता वित्तीय लाभ डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2010 के हकदार होंगे और इस प्रकार दिनांकित 30.10.2015 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।नतीजतन, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता वित्तीय लाभ डब्ल्यू. ई. एफ. 01.11.2010 के हकदार हैं न कि डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2010 के।तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है।"

10. अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नगंगोम जूनियर ने तर्क दिया है कि उनके मुवक्किल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई पेंशन व्यवस्था में चले गए थे, जो राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश द्वारा निर्देशित थी।जैसा कि हम फैसले में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इस तरह के आदेश जारी करने की शक्ति का पता अनुच्छेद 166 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान दोनों से लगाया जा सकता है।यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि किस अनुच्छेद के तहत नियम या आदेश जारी किए गए थे क्योंकि किसी भी मामले में, कानूनी साधन को वैधानिक शक्ति प्रदान की जाएगी।हम पहले ही इस निर्णय के पहले भाग में संशोधित मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1977 के खंड 3 का हवाला दे चुके हैं।यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थीगण 1 जून 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे।अपीलार्थीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि चूंकि उनकी पेंशन की पात्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए एक नियम द्वारा कवर की गई थी, इसलिए 24 दिसंबर 2011 का कार्यालय ज्ञापन उन लाभों को बदल नहीं सका जो अपीलार्थी उपरोक्त वैधानिक लिखत के तहत पाने के हकदार बने।
राज्य का रुख

सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय आर. हेगड़े ने कहा कि वेतनमान में संशोधन राज्य सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को शामिल करता है, जिसमें शिक्षा विभाग के लोग भी शामिल हैं।उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण के 2010 के नियमों में स्थानांतरित होने के बाद भी, वे इससे अलग लाभ का दावा नहीं कर सकते थे, और इससे भी अधिक कि जिस विभाग से वे उत्पन्न हुए थे, उसके सेवारत कर्मचारी इसका आनंद ले रहे थे।यह बताया गया है कि 12 अगस्त 2011 के आदेश ने कॉलेज के शिक्षकों के वेतन को संशोधित करने वाले 3 जून 2011 के आदेश को हटा दिया है और हम पहले ही इस आदेश के खंड 8 को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं।

11. मणिपुर राज्य की ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि 12 अगस्त 2011 का आदेश चुनौती के दायरे में नहीं है।राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थीगण जो

मणिपुर सरकार के तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, उन्हें सरकारी कर्मचारियों या मणिपुर राज्य में न्यायिक सेवाओं में लगे लोगों की तुलना में अधिक वेतनमान और पेंशन मिलती है।इस आधार पर, यह आग्रह किया जाता है कि उनके लाभों की तुलना मणिपुर राज्य सरकार सेवा नियमों के तहत नियुक्त मूल कर्मचारियों के लाभों से नहीं की जा सकती है।अपील के तहत फैसले का बचाव इस आधार पर करने की भी मांग की गई है कि मणिपुर सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं के सदस्य अलग-अलग तारीखों से संशोधित वेतन प्राप्त कर रहे थे।यह भी कहा गया है कि 24 दिसंबर 2011 का कार्यालय ज्ञापन केवल एक स्पष्टीकरण आदेश है और 12 अगस्त 2011 के मूल आदेश पर अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी हमला नहीं किया गया था।वेतन आदेशों में संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णय हमारे संज्ञान में लाए गए थे, लेकिन हमें इन मंत्रिमंडल के निर्णयों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है।इस अपील में, हम 24 दिसंबर 2011 के कार्यालय ज्ञापन की सामग्री की वैधता से इस हद तक चिंतित हैं कि संशोधन के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने की तारीख 1 अप्रैल 2010 से बदलकर 1 नवंबर 2010 कर दी गई है।

12. 12 अगस्त 2011 का आदेश मणिपुर राज्य के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। जिस तर्क पर हमने पहले व्याख्या की है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के संदर्भ में एक कार्यकारी आदेश होने के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया नियम भी हो सकता है।लेकिन 12 अगस्त 2011 का यह आदेश सेवानिवृत्त कॉलेज शिक्षकों या उनके खंड 7 और 8 को छोड़कर समकक्ष ग्रेड रखने वालों के लिए कोई विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं करता है, जिसका हमने इस निर्णय में पहले उल्लेख किया है।ये ए

जी.

एच.

787

डॉ. वाई. इबेहैबी देवी (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व आम सरकार द्वारा किया गया। मणिपुर ए

खंड में उस तारीख को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिससे सेवानिवृत्त लोगों को संशोधित पेंशन का भुगतान किया जाना है।खंड 8 उन लोगों के लिए पेंशन की गणना के तरीके को

निर्दिष्ट करता है जो 1 जनवरी 2006 और 31 अक्टूबर 2010 के बीच सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त हुए हैं।दूसरी ओर खंड 7 राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह लागू होने वाले पेंशन नियमों से संबंधित है।इसलिए, जहां तक अपीलार्थीगण का संबंध है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2010 के नियमों की व्यवस्था में उनके स्थानांतरण और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू तिथि से संशोधित पेंशन के लिए उनकी पात्रता को मणिपुर के राज्यपाल द्वारा 12 अगस्त 2011 के आदेश द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से बाहर नहीं किया गया है।

13. जहाँ तक राज्य सरकार के कर्मचारियों का संबंध है, पेंशन और सहायक शर्तों को विनियमित करने वाले प्रावधानों में संशोधन 5 मई 2010 के ओ. एम. द्वारा निर्देशित किया गया था।इस ज्ञापन में शामिल विषय इसके निम्नलिखित खंडों से प्रकट होगाः-

"No.9/3/2010-FD (PIC):हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि मणिपुर सेवा (संशोधित-भुगतान) नियम, 2010 की शुरुआत के बाद सरकार के निर्णय के अनुसरण में, मणिपुर के राज्यपाल ने मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1977 (जिसे इसके बाद पेंशन नियम के रूप में संदर्भित किया गया है), मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन का परिवर्धन) नियम, 2010 और मणिपुर सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1995 के तहत पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा ग्रेच्युटी/परिवार पेंशन/विकलांगता पेंशन को विनियमित करने वाले नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

2. ये आदेश मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1977 द्वारा शासित राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।"

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत**)**

14. 5 मई 2010 के ओ. एम. के खंड 3 में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, जिस पर श्री हेगड़े ने अपनी दलीलों में जोर दिया है।इस प्रकार, एक बार जब अपीलकर्ता अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने वाले नियमों में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो जहां तक पेंशन नियमों के उपरोक्त संशोधन के मूल हिस्से के अनुप्रयोग का संबंध है, अपीलार्थीगण की सेवा की उत्पत्ति महत्वहीन हो जाती है।जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 12 अगस्त 2011 के आदेश का खंड 8 भी मणिपुर राज्य में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवहार पर विचार नहीं करता है।

संशोधित पेंशन के कार्यान्वयन की तारीख के उद्देश्य से उनकी मूल सेवा के मौजूदा कर्मचारियों के साथ।इस प्रकार, मणिपुर राज्य में अन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त लोगों की तुलना में अपीलार्थीगण को मिलने वाली पेंशन की मात्रा का उस कानून के बिंदु पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी हम इस अपील में जांच कर रहे हैं।हम इस अपील में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या 24 दिसंबर 2011 को पारित आदेश अपीलार्थीगण के लिए संशोधित पेंशन की पात्रता की तारीख को 1 नवंबर 2010 तक स्थगित कर सकता है।

15. 24 दिसंबर 2011 का कार्यालय ज्ञापन एक प्रशासनिक आदेश की प्रकृति का है।यह कार्यालय ज्ञापन राज्यपाल के नाम पर नहीं बनाया और निष्पादित नहीं किया गया है।लेकिन यह कार्यालय ज्ञापन 12 अगस्त 2011 को बनाए गए सरकारी आदेश के तहत अपीलार्थीगण के ठोस अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, जिसे 5 मई 2010 और 3 जून 2011 के आदेशों की निरंतरता में पढ़ा जाता है।हमारी राय में, राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है।5 मई 2010 के ओ. एम. के खंड 3.1 के संदर्भ में, अपीलार्थीगण ने उस तारीख से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होती है।अपीलार्थीगण को उक्त पेंशन व्यवस्था में रखा गया है और इसे 12 अगस्त 2011 के आदेश के खंड 7 द्वारा मान्यता दी गई है।

16. हम डिवीजन बेंच के मुख्य तर्क से सहमत नहीं हैं कि 1 अप्रैल 2010 से अपीलार्थीगण को संशोधित पेंशन का लाभ देने से एक विसंगत स्थिति पैदा होगी क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों के सेवारत कर्मचारियों को 1 नवंबर 2010 से इस तरह के संशोधन का लाभ मिल सकता है।राज्य ने संबंधित संस्थानों के सेवारत कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने वाली सेवा शर्तों से सेवानिवृत्त लोगों को अलग करने का सचेत निर्णय लिया है और उन्हें मणिपुर राज्य सेवा में उन लोगों के लिए सेवानिवृत्ति नियमों में रखा है।ऐसी स्थिति में, हमें नहीं लगता कि अपील के तहत निर्णय में बताई गई विसंगति सेवा नियमों द्वारा निर्दिष्ट संशोधित पेंशन लाभों की पात्रता की तारीख तय करने के लिए मार्गदर्शक कारक हो सकती है।24 दिसंबर 2011 के कार्यालय ज्ञापन को भले ही वैधानिक शक्ति वाले कार्यालय ज्ञापन में मौजूद विसंगति को

स्पष्ट करने के लिए एक साधन के रूप में पेश किया गया हो, लेकिन वास्तव में यह 1 अप्रैल 2010 से इस तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त लोगों के अर्जित या निहित अधिकार का अतिक्रमण करता है।इस तरह के "स्पष्टीकरण आदेश" को वैधानिक शक्ति वाले आदेश को ओवरराइड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।हम तदनुसार मानते हैं कि अपीलार्थीगण 12 अगस्त 2011 के आदेश के खंड 7 के प्रावधानों पर विचार करते हुए 1 अप्रैल 2010 से संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।ए का कार्यालय ज्ञापन

जी.

एच.

789

डॉ. वाई. इबेहैबी देवी (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम।मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व आम सरकार द्वारा किया गया। मणिपुर का

24 जहां तक 1 अप्रैल 2010 से संशोधित पेंशन प्राप्त करने के लिए अपीलार्थीगण की पात्रता का संबंध है, दिसंबर 2011 का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।

17. इन परिस्थितियों में, अपील के तहत निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।हम 30 अक्टूबर 2015 के एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल और पुष्टि करते हैं।

18. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।20. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

जी.

एच.